

झारखंड मोटरवाहन (संशोधन) नयिमावली, 2021

चर्चा में क्यों?

27 जुलाई, 2021 को झारखंड कैबिनेट ने झारखंड मोटरवाहन (संशोधन) नयिमावली, 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें आवेदन शुल्क, लाइसेंस शुल्क व परमिट शुल्क में दोगुनी वृद्धि की गई है।

प्रमुख बढि

- लर्निंग लाइसेंस जाँच शुल्क, ड्राइविंग लाइसेंस, रनियूअल लाइसेंस शुल्क में बढोतरी की गई है।
- सवारी गाड़ियों, यात्री बसों तथा मोटर कैब के परमिट शुल्क में भी बढोतरी की गई है।
- पर्यटक वाहनों के लिये शुल्क में बढोतरी करके इसकी राशिको 1500 रुपए कर दिया गया है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/jharkhand-motor-vehicles-amendment-rules-2021>

